भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †562

दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

खनिजों का उत्पादन और विकास दर

†562. श्री प्रवीण पटेलः

श्री बलभद्र माझीः

श्री भोजराज नागः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

श्री विष्णु दयाल रामः

श्री खगेन मुर्मुः

डॉ. संजय जायसवालः

श्री नव चरण माझीः

श्री महेश कश्यपः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लौह अयस्क, अलौह धातुओं, मैंगनीज और बॉक्साइट की उत्पादन दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ और कांकेर जिले के रावघाट क्षेत्र सहित देश में अन्य प्रमुख खनिजों की वृद्धि दर में कोई बढ़ोत्तरी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आत्मनिर्भर भारत लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए खनन क्षेत्र में सतत खनिज उत्पादन को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई या नियोजित नीतियों और उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): देश में प्रमुख खनिजों और अलौह धातुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। पिछले पाँच वर्षों में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का विवरण नीचे दिया गया है:

(उत्पादन मात्रा किलो टन में)

खनिज	2019-20	2024-25 (अ)	सीएजीआर (%)
लौह अयस्क	244,083	289,395	3.5
मैंगनीज अयस्क	2,910	3,802	5.5
बॉक्साइट	21,825	24,705	3
चूना पत्थर	359,464	449,581	5
सीसा और जस्ता अयस्क	14,479	16,669	3
ग्रेफाइट	35	85	20
अलौह धातु			
एल्युमिनियम	3,635	4,199	3
तांबा	408	573	7
सीसा	132	225	11
जस्ता	516	827	10

(अ): आँकड़े अनंतिम हैं।

कांकेर जिले सहित छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिजों का उत्पादन भी बढ़ा है। पिछले पाँच वर्षों का सीएजीआर विवरण नीचे दिया गया है:

(उत्पादन मात्रा किलो टन में)

छत्तीसगढ़ राज्य	खनिज	2019-20	2024-25(अ)	सीएजीआर (%)
	लौह अयस्क	34,728	44,320	5
	चूना पत्थर	42,699	48,938	2.8
छत्तीसगढ़ राज्य का कांकेर ज़िला	लौह अयस्क	2,943	5,134	11.8

(अ): आँकड़े अनंतिम हैं।

(ग): खान मंत्रालय ने खनिज उत्पादन बढ़ाने और 'खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) को अन्य बातों के साथ-साथ खनिज उत्पादन बढ़ाने और खानों का समयबद्ध प्रचालन, खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश बढ़ाने; खनिज संसाधनों के गवेषण और नीलामी की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से 28.03.2021 से संशोधित किया गया। कुछ प्रमुख संशोधनों में खानों की नीलामी के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाना, कैप्टिव खानों को संबद्ध संयंत्र की आवश्यकता पूरी करने के पश्चात वर्ष के दौरान उत्पादित

खनिजों का 50% तक बेचने की अनुमति देना और खनिज रियायतों के अंतरण पर प्रतिबंध हटाना शामिल है।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा 17.08.2023 से उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा सहित कई क्षेत्रों की उन्नति के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के गवेषण और उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से और संशोधित किया गया।

उक्त संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के नए भाग-घ में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और संयुक्त अनुज्ञप्ति की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के गवेषण को बढ़ावा देने के लिए, 29 महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के लिए एक नई खनिज रियायत अर्थात गवेषण अनुज्ञप्ति शुरू की गई है। कोबाल्ट, लिथियम, निकल, सोना, चांदी, तांबा जैसे महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों का गवेषण और खनन करना सतही या थोक खनिजों की तुलना में कठिन है। नीलामी के माध्यम से प्रदत्त गवेषण अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारक को एमएमडीआर अधिनियम की नई सम्मिलित सातवीं अनुसूची में उल्लिखित महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण कार्य करने की अनुमति देगी।

इसके अतिरिक्त, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 [ओएएमडीआर अधिनियम, 2002] को ओएएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा एक पारदर्शी और गैर-विवेकाधीन प्रक्रिया के माध्यम से प्रचालन अधिकारों के शीघ्र आवंटन को सक्षम बनाने के लिए अपतट क्षेत्रों में प्रचालन अधिकारों के आवंटन की पद्धति के रूप में नीलामी को शुरू करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया ।

*****